के खिलाफ इंक्वायरी कराई गई है? इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोशिश भी करेंगे कि भविष्य में जो भी कोटा जाए गांवों में, उसका वितरण ठीक हो, वह गरीब आदमी को मिले?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: सर, इस पर सैंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं है, यह पी॰डी॰एस॰ सिस्टम सारा का सारा स्टेट्स चलाती है और यह उन्हीं का काम है कि वे कैसे मैनेज करती है। कई जगह बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, कई जगह बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं, कम्प्लेंट्स भी आती है कि वहां पी॰डी॰एस॰ का कोटा लोगों को नहीं मिलता, ब्लैक में चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स उनके खिलाफ ऐक्शन भी लेती है, कई जगह रेड्स किए जाते हैं, कई जगह पकड़े जाते हैं। उनका हमारे पास हिसाब-किताब नहीं होता। मैं इस पर कोई और ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता।

Commission for the care of Children

†65. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI S.R. BOMMAI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Prime Minister and the Minister of Human Resource Development had declared on the 14th November, 1998, in a function to observe Children's Day organised by the National Bal Bhawan that Government would soon take steps to constitute a Child Commission to take care of problems faced by children of the country;

(b) whether the Commission has been or is being constituted and who would be members of that Commission; and

(c) what would be the participation of the State Governments and the NGOs working in the said field, in that Commission?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. The declaration was made by me on 14th November 1998 in the presence of the Hon. Prime Minister who commended the setting up of the National Commission for Children.

(b) and (c) The matter regarding setting up of a National Commission for Children is under Consideration of the Government.

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति महोदय, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री के सामने घोषणा हो जाती है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाता है और सारे देश को व लोगों को बताया जाता है कि ऐसा एक आयोग हम बनाने जा रहे है, फिर उस के 4 महीने बाद सरकार सदन में कहती है कि प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तक सरकार इस प्रस्ताव पर विचार ही कर रही है। आप को पहले विचार कर पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहिए था। सभापति जी, यह तो बहुत ही गलत बात है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, हम ने यह कहा था कि राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव की सराहना की गयी थी। हम ने यह नहीं कहा था कि राष्ट्रीय बाल आयोग बना दिया गया है, यह एक बात है। दूसरे, राष्ट्रीय बाल आयोग बनाने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। सभापति महोदय, हमारे देश में बहुत से आयोग हैं जोकि बालकों से संबंधित है, हमें उन का अध्ययन करना है, हमारे देश में बहुत से आयोग है जोकि महिलाओं से, पिछड़ी जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित हैं, हमें उन का भी इस में ध्यान रखना है। इस के अलावा हमें राज्य सरकारों से भी परामर्श करना है। फिर विभिन्न मंत्रालय हैं जोकि बालकों के बारे में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जैसे—श्रमिक विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सब से भी हमें परामर्श करना है। सभापति महोदय, इस संबंध में हम ने काफी काम शुरू किया है और मुझे सूचित करना है कि जिन सरकारों को हम ने लिखा था, उन में से राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, दमन और दीव के विचार हमें मिल गए हैं और इन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस के साथ-साथ हमें फेमिली वेलफेयर, अर्बन अफेयर्स और इनफार्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के भी कमेंट्स मिल गए हैं। उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। फिर हमने हमारे मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति की बैठकें कर सम्मानित सदस्यों के विचार भी लिए हैं। इस प्रकार से हम गहन अध्ययन कर रहे है और एक ऐसा आयोग बनाने की

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamla Sinha.

चाहा है जोकि बालकों के सभी अधिकारों को ठीक ढंग से सुनिश्चित करा सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, अन्य देशों में इस बारे में क्या हो रहा है, हम ने संयुक्त राष्ट्र को क्या वचन दिया है, इन सारे प्रश्नों पर गंभीरता से अध्ययन करने के बाद इस का कानून के तौर पर एक रूप हम लाएंगे। मैं समझता हूं कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि जो भी कानून बने वह आज की परिस्थिति में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स, राज्यों की स्थिति और विभिन्न कानूनों को ध्यान में रखते हुए बने क्योंकि अभी अलग-अलग कानूनों में बालक की अवस्था के बारे में अलग-अलग विचार है—कोई 14 साल कहता है, कोई 18 साल और कोई 12 साल कहता है। तो हमें यह भी देखना है कि हमारे कानून की स्थिति अन्य मंत्रालयों और अन्य कानूनों से कहीं कनफ्लिक्ट न हो, उन में कहीं विरोधाभास न हो। इस लिए इस विषय में पूरी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

श्रीमती कमला सिन्हा: सभापति महोदय, मंत्री जी के जवाब से सदन अगर संतुष्ट हो तो दूसरी बात है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिया है, यह बिल्कुल टालने वाली बात है। अगर सरकार चाहती है तो इसे करे, नहीं तो फिर इन के पास समय नहीं रहेगा क्योंकि कब तक इन की सरकार रहेगी इस का कोई ठिकाना नहीं है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैं माननीय सदस्या को इस बात का पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, यह सरकार अपने कार्यकाल में ही इस आयोग की स्थापना करेगी। हो सकता है उन के पास समय कम हो क्योंकि यहां कुछ समय के बाद सदस्य निवृत्त हो जाते हैं।

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, at the outset, I welcome the thinking of the Government to have a National Child Commission. After the announcement made by the hon. Minister and the hon. Prime Minister, it was widely reported in all the national newspapers, and editorials also had been written. I would like to bring to the notice of the hon. Minister an article which appeared in the "Indian Express" of 15th November, 1998. It was stated: "Responding to the suggestion of the National Bal Bhawan vice-chairperson, Swaraj Lamba, Joshi said that the Commission would go into all aspects of children like health, education and their rights and exploitation. A Bill to this effect was expected to come up in the coming Parliament session."

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Comprehensive Consumer Policy

*63. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that there have been a number of instances of cheating of consumers in the country last year, prominent amongst them being the oil dropsy incidents; if so, whether Government propose to introduce any comprehensive consumer policy to arrest such incidents and ensure consumers' rights; and

(b) whether Government have received suggestions on the need for an indepedent Commission on Food, Drug and Product Safety, if so, the details thereof, including action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA):

(a) Government have specific information only about the dropsy incidents where adulteration of Edible Oils was suspected to be the cause. For ensuring safe and quality Edible Oils consumers, Government have promulgated the Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998 under the Essential Commodiites Act, 1955.

For general consumer protection, the Consumer Promotion Act, 1986 already exists which enshrines the rights of consumers against being cheated through various malpractices and provides remedies for their violations.